

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत --- उपखण्डाधिकारी --- मुकाम --- धौलपुर ---
 उन्वान : रमेश चंद... बनाम देव शर्मा बर्मा...
 किस्म मुकद्दमा- दावा - नम्बर 53 - सन् 2625

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

23/6/25

दावा वादी बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। वकील वादी
 उपस्थित। उन्हें सुना गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो।
 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली
 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 21.7.25 को पेश
 हो।

11.25

27.6.25

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज०)

21/7/25

वकील वादी डय. / पत्रावली वास्ते तलबी प्रति-
 वादीगण इंतजार दिनांक 21/9/25 को पेश हुए।

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज०)

11/8/25

पत्रावली आफ वादी के प्रार्थना पत्र पर
 दफ्तर से तलब हुई वादी स्वयं उपस्थित
 उसकी पहचान उसके अधिकता
 की शीकांत शीकस्तव ने की। वकील
 वादी ने दावा राजीनामा के आधार पर
 विज्ञे करने का प्रार्थना पत्र पेश किया
 जो शामिल पत्रावली किया गया।

रमेश चंद
 [Signature]

बकील वाडी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।
बकील वाडी ने कथन किया कि जज्जको
के मध्य आपसी सहमति से शाहीनामा
हो चुका है। उक्त आराली वाकत प्रार्थना
कोई बलिब नही करेंगे तथा वट व उसके
वारिसान हमेशा शाहीनामा से पाबंद रहेगे
इसलिइ दावा विद्रो किये जाने का विवेदन
किया है। पत्रावली का अवलोकन किया
बहस वाडी का मनन किया। वाडी के
विवेदन पर प्रांपत्र स्वीकार किया जाना
व्याधालय उचित समझती है।

अतः आदेश है कि वाडी को
दावा विद्रो करने की अनुमति दी जाती है।
विद्रो प्रांपत्र के आधार पर दावा वाडी धारिज
किया जाना है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
दाखिल दफतर हो।

समन्वय अधिकारी
धौलपुर (राज०)